मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर, 2001 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 22 नवम्बर, 2001 (अग्रहायण 1, 1923)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री घनश्याम पाटीदार, राज्यमंत्री विधि और विधायी कार्य, संसद के दोनों सदनों द्वारा संविधान (इक्यानवेवां संशोधन) विधेयक, 2000 पारित किये जाने से संबंधित लोक सभा एवं राज्य सभा की कार्यवाहियां और उक्त संशोधन के अनुसमर्थन के लिये प्राप्त राज्य सभा सचिवालय की सूचना पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138(1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री अजय विश्नोई, जयंत कुमार मलैया, नरेश दिवाकर (डी.एन.), सदस्य, प्रदेश सरकार द्वारा एशियन विकास बैंक के ऋण से तैयार विद्युत विकास की योजनाओं में महाकौशल क्षेत्र की उपेक्षा किये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री नरोत्तम मिश्रा, नरेन्द्र बिरथरे, राकेश शुक्ला, सदस्य, ग्वालियर जिले की डबरा नगर पालिका में अनियमितताऐं किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री पी.सी. शर्मा, सदस्य, भोपाल नगर के -
(क) वार्ड क्रमांक 31, नेहरू नगर में सर्व सुविधायुक्त शासकीय चिकित्सालय खोले जाने, तथा
(ख) वार्ड क्रमांक 31, नेहरू नगर की सड़कों की मरम्मत एवं डामरीकरण कराये जाने,
(2) श्री उमेश शुक्ला, सदस्य, छतरपुर जिले के विकास खण्ड राजनगर के ग्राम धवाइ के पास खुड़र नदी पर स्टाप डेम/पुल का निर्माण कराये जाने,
(3) श्री धूलसिंह यादव, सदस्य, राजगढ़ जिले में 220/132 के.व्ही. का विद्युत संयंत्र स्थापित करने,
(4) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के -
(क) शासकीय महाविद्यालय निवाड़ी में रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र एवं इतिहास की स्नातकोत्तर कक्षाऐं प्रारंभ कराये जाने, तथा
(ख) शासकीय महाविद्यालय निवाड़ी को स्नातकोत्तर घोषित किये जाने,
(5) श्री बाबूलाल मालवीय, सदस्य, उज्जैन जिले के -
(क) तराना तहसील के ग्राम माकड़ोन की कृषि उपज उप मण्डी को मण्डी का दर्जा दिये जाने,
(ख) तराना तहसील में मिनी आई.टी.आई. खोले जाने,
(ग) तराना तहसील के ग्राम भड़सिम्मा में कालीसिंध नदी पर पुलिया का निर्माण कराये जाने, तथा
(घ) शासकीय महाविद्यालय तराना में विज्ञान संकाय की कक्षायें प्रारम्भ कराये जाने,
(6) श्री रामप्रताप सिंह, सदस्य, सतना जिले के -
(क) पटवारी हल्का क्रमांक 63,64 एवं 65 के ग्रामों को नागौद तहसील में जोड़े जाने, तथा
(ख) ग्राम पिथौराबाद स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन कराये जाने,

के सम्बन्ध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री अजय मुशरान, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश तम्बाकू (निरसन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 29 सन् 2001) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री अजय मुशरान, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 30 सन् 2001) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

—2

निर्धारित समय	
	6. वर्ष 2001-2002 की द्वितीय अनुपूरक मांगों पर मतदान
2 घन्टा	श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :- "दिनांक 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1,3,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,26,27,30,31,35,36,39,41,44,47,55,56,60,61,62,64,66,67,75,79,80,81,82,84,89,93,95,96 तथा 97 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर सात सौ बावन करोड़, पचासी लाख, अट्ठावन हजार, छः सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय."
	7. शासकीय विधि विषयक कार्य
	(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2001 (क्रमांक 27 सन् 2001) का पुरःस्थापन* करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय. उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.
30 मि.	(2) डॉ. गोविन्द सिंह, राज्यमंत्री सहकारिता, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 26 सन् 2001) पर विचार किया जाय. उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

8. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में सूखे से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा का पुनर्ग्रहण.

डॉ. ए. के. पयासी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 21 नवम्बर, 2001

---

*अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.